न्यायालयः– सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ0ग0)

(पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार साहू)

आप0 अपील क्र0–01 / 2018
संस्थित दिनांक 27 / 12 / 2017
थाना–सि.को. मुंगेली अपराध क.–553 / 13
सी0आई0एस0 नंबर–040007342018

राजेश मेश्राम आ0 कपूरचंद मेश्राम,
उम्र–44 वर्ष,
कुदुदण्ड बिलासपुर, तहसील–बिलासपुर,
जिला–बिलासपुरछ0ग0).. **अभियुक्त**

–: विरूद्ध :–

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा,
आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली मुंगेली,
जिला–मुंगेली (छ0ग0) .... **अभियोजन**

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 07 / 06 / 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ0ग0) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्र0–75 / 2016 छ0ग0 शासन बनाम राजेन्द्र शुक्ला वगैरह में दिनांक 23.11.17 को पारित निर्णय एवं दण्ड़ादेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को भा0द0सं0 की धारा 419, 420 / 34, 467 / 34, 468 / 34, 471 / 34 के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 419, 420 / 34, 467 / 34, 468 / 34, 471 / 34 से

संबंधित प्रत्येक अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड के भुगतान में चूक करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत किया है।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में यह है कि ग्राम सरगांव, थाना जरहागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 521/3, रकबा 2.00 एकड़ की भूमि प्रार्थी डॉ. राजकुमार क्षेत्रपाल, अमृतलाल एवं महेश सिंह की सयुंक्त स्वामित्व की भूमि रहकर उनके नाम पर दर्ज रहा है, जिसके संबंध में प्रार्थी डॉ0 राजकुमार क्षेत्रपाल को जानकारी प्राप्त हुआ कि उक्त भूमि को किसी फर्म के पक्ष में 30 वर्ष का लीजडीड पट्टा विलेख अनुबंध पत्र उप– पंजीयक कार्यालय, मुंगेली में दिनांक 23.11.2012 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया गया है, उक्त जानकारी पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने की पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि उक्त पट्टा विलेख लीजडीड में किसी प्रार्थीगण का मूल हस्ताक्षर नहीं था, न ही उनकी सही फोटो चस्पा है और उनके स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति फर्जी रूप से फोटो लगाकर हस्ताक्षर किया गया है।

3. प्रार्थी डॉ. राजकुमार क्षेत्रपाल, महेश एवं अमृतलाल द्वारा लिखित में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित में ंशिकायत पत्र प्रस्तुत किये जाने पर थाना हिर्री में अपराध कमांक 42/13 दर्ज किया गया है घ टना थाना मुंगेली से संबंधित रहने पर अनुसंधान थाना मुंगेली स्थानांतरित कर अपराध कमांक 553/13 पंजीबद्ध किया गया और जांच में उक्त लीजडीड एग्रीमेंट मेसर्स शेरोन ओवरसीज ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में उसके डारेक्टर, जसकरण सिंह गिल के नाम से दिनांक 23.11.2012 से 23. 11.2012 तक की अवधि के लिए आरोपीगण राजेन्द्र कुमार शुक्ला, राजेश मेश्राम एवं भागवत द्वारा निष्पादित किया जाना गया। संबंधित लीजडीड

पटटा विलेख की मूल कार्यालयीन प्रति उपपंजीयक, कार्यालय मुंगेली से जप्त किया गया।

4. अनुसंधान में आगे घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा अपराध संबंधी नक्शा भूमि किश्त खतौनी प्राप्त किया गया है। आरोपीगण की पहचान कार्यवाही किया गया। आरोपीगण को गिरफतार किया गया। कुटरचित पत्र विलेख पर आरोपीगणों के फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु हस्तलिपि विशेषज्ञ से अभिमत प्राप्त किया गया एवं अनुसंधान उपरांत अपीलार्थी सहित शेष राजेन्द्र शुक्ला एवं भागवत के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली के न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और शेष आरोपीगणों के, न मिलने से पृथक से उनके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अपीलार्थी सहित शेष आरोपीगण राजेन्द्र शुक्ला एवं भागवत के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भा0.दं0सं0 की धारा 419, 420/34, 467/34, 468/34, 471/34 अंतर्गत आरोप पत्र की रचना कर विचारण उपरांत दिनांक 23.11.2017 को आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजेश मेश्राम द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. अपीलार्थी द्वारा निम्न आधार लेते हुए यह अपील प्रस्तुत किया गया है :–

1. ''क्या अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य की विवेचना में अत्यधिक त्रुटि की है ?''
2. ''क्या अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षी ए.एल. क्षेत्रपाल अ0सा0–1, महेश सिंह अ0सा0–2 तथा अमृतलाल आनंद अ0सा0–3 जो प्रकरण का प्रार्थीगण है, ने अपने कथन में स्पष्टरूप से अभियुक्तगण को

नहीं पहचानना बताया, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में त्रुटि की है, जिससे निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है ?''

3. ''क्या प्रकरण में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने में असमर्थ रहा है कि उक्त विवादित लीजडीड में अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि लीजडीड में अपीलार्थी राजेश मेश्राम के हाथ के अंगूठा निशानी लगी है, इस कारण अभियुक्त राजेश मेश्राम को दिया गया दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है ?''

4. ''क्या इस संबंध में फोरेंसिंग सर्विस से प्राप्त रिपोर्ट को जो दिनांक 07.08.2016 की है, जिसमें स्पष्ट है कि लीजडीड में अभियुक्त के अंगूठे का निशान नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत का लाभ दिया गया था, उक्त रिपोर्ट अपील प्रस्तुत की जा रही है ?''

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

1. क्या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ?

<u>–: निष्कर्ष के आधार :–</u>

8. **विचारणीय बिन्दु क. 1–** उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क को विचार में रखते हुए विचारण न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी राजेश मेश्राम सहित सहअभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला एवं भागवत निषाद पर दिनांक 23.11.2012 को प्रार्थी डॉ. राजकुमार क्षेत्रपाल, महेश एवं अमृतलाल आनंद के नाम ग्राम सरगांव में दर्ज खसरा नंबर 531/3 रकबा 2 एकड़ भूमि को उक्त प्रार्थीगण के स्थान पर स्वयं उक्त भूमि का भूमि स्वामी होने का प्रवंचना, कपटपूर्वक एवं बेईमानी से छल करते हुए फर्जी पट्टा विलेख अनुबंध पत्र, जिसकी कार्यालयीन प्रति प्रदर्श पी–3, प्रार्थीगणों के जानकारी के बिना शेरोन ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड ग्रुप के पक्ष में उसके डायरेक्टर जसकरण सिंह गिल के नाम से निष्पादित किये जाने का अभियोग रहा है।

9. अभियोजन की ओर से अनुसंधान के दौरान उक्त प्रश्नगत पट्टा विलेख की मूल कार्यालयीन प्रति, जो उप पंजीयक मुंगेली के कार्यालय से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी–3 रहा है, उसे जप्त कर अभियोग पत्र के साथ प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, उसमें निष्पादनकर्ता के रूप में अपीलार्थी राजेश मेश्राम सहित सह अभियुक्तगण राजेश शुक्ला, भागवत का रंगीन फोटोग्राफस, उक्त पंजीयन अधिनियम की धारा 32 ए के अंतर्गत विहित प्रारूप प्रदर्श पी–4 के रूप में चस्पा है और उसे उपपंजीयक मुंगेली के द्वारा निष्पादन के समय अभिप्रमाणित भी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश मेश्राम की गिरफतारी पत्रक में उसका रंगीन फोटो को थाना प्रभारी द्वारा चस्पा कर सत्यापित किया गया है उक्त अभियुक्त का फोटो प्रश्नगत पट्टा विलेख प्र0पी0–3 में संलग्न निष्पादनकर्ता से संबंधित प्रारूप प्रदर्श पी–4 में निष्पादनकर्ता क्रमांक 3 के रूप में चस्पा किये गये व्यक्ति के रंगीन फोटो इसी अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश मेश्राम का होना सामान्य अवलोकन से ही प्रकट होकर प्रमाणित है।

10. अपराध से संबंधित शेष सह अभियुक्तगण राजेन्द्र शुक्ला एवं भागवत निषाद को घटना के संबंध में गिरफतारी पत्रक प्र0पी0–6 एवं प्र0पी0–7 अनुसार गिरफतार किया गया है और उक्त गिरफतारी पत्रक में उक्त अभियुक्तगणों के लगे हुये चस्पा रंगीन फोटो भी प्रश्नगत पट्टा विलेख प्र0पी0–3 में संलग्न निष्पादनकर्ता से संबंधित प्रारूप प्रदर्श पी–4 में शेष निष्पादनकर्ता क्र. 1 के रूप में चस्पा किये गये रंगीन फोटो सह अभियुक्त भागवत निषाद एवं निष्पादनकर्ता क्र. 2 के रूप में अमृतलाल आनंद के रूप में निष्पादनकर्ता के स्थान पर चस्पा फोटो अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला का होना उक्त फोटो एवं दस्तावेज के सामान्य अवलोकन से ही प्रकट होकर प्रमाणित है और उक्त पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 को अपीलार्थी राजेश मेश्राम सहित सह अभियुक्त राजेन्द्र शुक्ला एवं भागवत निषाद द्वारा ही निष्पादित होना उप पंजीयन मुंगेली के अभिप्रमाणन से भी सम्पुष्ट है।

11. उक्त पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 के परिशीलन से उसके निष्पादन के समय उप–पंजीयक मुंगेली द्वारा उक्त अभियुक्तगण के द्वारा निष्पादन किये जाने के संबंध में अपना हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर स्वरूप अंगूठा लगाये जाने को अभिप्रमाणित भी किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त लीजडीड प्र0पी0–3 में अपीलार्थी राजेश मेश्राम का अंगूठा निशानी न रहने संबंधी आधार में भी कोई बल रहना प्रकट नहीं होता है तथा उक्त पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 सभी अभियुक्तगणों के द्वारा निष्पादित होने संबंधी प्रमाण का अभाव रहने में भी बल रहना प्रकट नहीं होता है।

12. अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत पटटा विलेख प्र0पी0–3 में निष्पादनकर्ता के रूप में अपना रंगीन फोटोग्राफ्स न होने और विचारण न्यायालय के अभिलेख के गिरफतारी पत्रक प्र0पी0–8 में स्वयं का चस्पा रंगीन फोटो स्वयं से भिन्न व्यक्तियों का होने संबंधी कोई प्रतिरक्षा नहीं लिया

गया है, न ही अधिनस्थ न्यायालय में इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से कोई चुनौती अपीलार्थी द्वारा दिया जाना प्रकट है।

13. अपीलार्थी अथवा अन्य सह अभियुक्तगणों द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत पटटा विलेख प्र0पी0–3 की भूमि खसरा नंबर 531/3 रकबा 2 एकड़ को अपने संयुक्त स्वामित्व होने संबंधी कोई प्रतिरक्षा नहीं लिया गया है और आरोप के स्तर पर अथवा दं0प्र0सं0 की धारा 313 अंतर्गत परीक्षण के दौरान भी दावा नहीं किया गया हैं, न ही उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि के मूल स्वामी एवं प्रार्थी राजकुमार अ0सा0–1, महेश अ0सा0–2, अमृतलाल अ0सा0–3 के रूप में न्यायालय मे साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत कर उनका कथन कराया है और उनके द्वारा उक्त प्रदर्श पी–3 में निष्पादित भूमि को स्वयं के संयुक्त स्वामी भूमि होने के संबंध में कथन किया गया है और उनकी जानकारी के बिना फर्जी रूप से 30 साल के लिए पटटे पर शेरोन ओवरसीज सर्न ओवरसीज ग्रुप, प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किये जाने का समर्थन किया है।

14. अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के दौरान उक्त पटटा विलेख का निष्पादन भी अखंडित रहते हुए प्रमाणित रहा है और उसे अधिनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान अपीलार्थी सहित शेष सह अभियुक्तगणों की ओर से विशेष रूप से कोई चुनौती नहीं दिया गया है न ही अखंडित रहा है तथा उक्त पटटा विलेख प्र0पी0–3 से संबंधित भूमि के मूल भूमि स्वामी एवं प्रार्थीगणों के द्वारा उक्त पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 को अपने द्वारा निष्पादित न होने संबंधी किया गया कथन भी अखंडित रहते हुये प्रमाणित है और ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का उचित रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाना भी प्रकट होता है और अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित विश्लेषण एवं मूल्यांकन न किये जाने संबंधी अपीलार्थी के अपीलीय आधार में कोई बल रहना प्रकट नहीं होता है।

15. अपीलार्थी की ओर से यह अपीलीय आधार लिया गया है कि अभियोजन साक्षी एवं प्रार्थीगण द्वारा न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगणों को न पहचानने का कथन किया है। अपीलार्थी द्वारा लिये गये उक्त आधार से भी अपीलार्थी को कोई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन की कहानी आरोपीगण द्वारा घटना कारित किये जाने के समय या उसके पूर्व प्रार्थीगणों द्वारा आरोपीगणों को पहचानने अथवा पूर्व से पहचान रहने का नहीं रहा है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण अथवा पीड़ित व्यक्तियों को अपराध के जानकारी के साथ–साथ अपराधी के संबंध में जानकारी या पहचान प्राप्त करना अथवा रहना आवश्यक नहीं है न ही यह व्यवहार में संभव है, क्योंकि अपराधी अपराध संपत्ति के स्वामी अथवा किसी व्यक्ति की उपस्थिति या जानकारी में सामान्यतः नहीं किया जाता है। विधि में अपराध एवं घटनाकर्ता के संबंध में पता लगाया जाना एवं अन्वेषण करना, अभियोजन का कार्य है, जो कि वर्तमान प्रकरण में उचित रूप से किया जाना भी प्रकट होकर अधिनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान प्रमाणित रहना भी पाया जाता है।

16. अपीलार्थी की ओर से फोरेंसिक सर्विस से प्राप्त अभिमत दिनांक 07.08.2016 की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और इस अपीलीय न्यायालय में भी उसकी छायाप्रति तर्क के दौरान प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी को अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश मेश्राम का न होने के संबंध में अभिमत दिया गया है। जिस पर विचार उपरांत पाया जाता है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त विशेषज्ञ का अभिमत साक्ष्य की अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत एक समर्थन कारित साक्ष्य है तथा प्रकरण की परिस्थिति एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य के परिशीलन से उक्त अभिमत का समर्थन उपलब्ध अन्य किसी साक्ष्य से होना नहीं पाया

जाता है, इसके विपरीत एवं खंडन में स्वयं प्रश्नगत भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी एवं प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 के निष्पादन से इंकार किया गया है, इसके विपरीत उक्त पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 में निष्पादनकर्ता के रूप में अपीलार्थी राजेश मेश्राम को उपस्थित रहना और हस्ताक्षर स्परूप अपना अंगूठा निशानी लगाया जाना उक्त दस्तावेज से प्रकट है और उप पंजीयक मुंगेली द्वारा उक्त निष्पादन को अभिप्रमाणित किये जाने से भी वह समपुष्ट तथा अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ, सीआईडी पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2016 से भी समपुष्ट होकर प्रमाणित है, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 अंतर्गत स्वीकार योग्य राय होते हुए अन्य दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से समर्थित व पुष्ट रहने से भी स्वीकार एवं मान्य योग्य अभिमत रहा है।

17. अपीलार्थी द्वारा पक्ष समर्थन में प्रस्तुत उक्त फोरेंसिक सर्विस से हस्तलिपि विशेषज्ञ का अभिमत दिनांक 07.08.2016 से संबंधित हस्तलिपि विशेषज्ञ को उक्त अभिमत को समपुष्ट किये जाने के समर्थन में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त अभिमत सम्पुष्ट कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया है उक्त अभिमत प्रदायकर्ता, सैय्यद फैजल हुडा एक निजी विशेषज्ञ है और दं0प्र0सं0 की धारा 293 के अंतर्गत शासकीय वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ रहना भी प्रकट नहीं होता है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभिमत अभिलेख में उपलब्ध अन्य साक्ष्य से समर्थन के अभाव में तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत ठोस साक्ष्य के समक्ष उसमें कोई साक्ष्यिक बल या महत्व रहना भी प्रकट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा लिये गये अपीलीय आधार पर कोई बल या सार रहना नहीं पाया जाता है।

18. अपीलार्थी की ओर से यह भी अपीलीय आधार लिया गया है कि फोरेंसिक सर्विस हस्तलिपि विशेषज्ञ के अभिमत दिनांक 07.08.2016 के आधार पर अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध दांडिक

प्रकरण क्र. 8440 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 को जमानत का लाभ दिया गया है उक्त आधार पर भी अपीलार्थी आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के परिशीलन से पाया जाता है कि विचारण के दौरान किसी अपराध से दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों का गुणदोषों के आधार पर मूल्यांकन किये जाने का विषय रहता है, जबकि किसी अभिरक्षाधीन व्यक्ति को जमानत दिये जाने का विषय उभय पक्ष के संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुति उपरांत उसके गुणदोषों के आधार पर निराकरण किये जाने का विषय नहीं रहता है।

19. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त प्रश्नगत जमानत प्रकरण में उक्त अभिमत दिनांक 07.08.2016 को भी गुणदोषों के आधार पर प्रमाणित होने का निष्कर्ष नहीं दिया गया है न ही प्रश्नगत पटटा विलेख प्रदर्श पी–3 पर अपीलार्थी के अंगूठा निशानी रहने संबंधी अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ, सीआईडी पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2016 को अविश्वसनीय या असत्य होने संबंधी गुणदोषों के आधार पर अभिमत दिया गया है, इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य एवं परिस्थिति से उक्त अभिमत दिनांक 07.08.2016 को समर्थन के अभाव में एवं उसके विपरीत अभिलेख में उपलब्ध प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के परिणामवश अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिये जाने संबंधी प्रस्तुत अपीलीय आधार में कोई सार या बल रहना अथवा उससे अपीलार्थी को गुणदोषों के आधार पर कोई लाभ प्राप्त योग्य स्थिति रहना प्रकट नहीं होता है।

20. अतः उपरोक्त विश्लेषण उपरांत पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 419, 420 / 34, 467 / 34, 468 / एवं 471 / 34 अंतर्गत दोषसिद्धि किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है तथा उक्त अपराध के संबंध में अपीलार्थी को

क्रमशः 3 साल का सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड, 3 साल का सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड, 3 साल का सश्रम कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड, 3 साल का सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड, 3 साल का सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये के अर्थदण्ड, के दंण्ड से दंडित किया गया है प्रत्येक अर्थदण्ड के चूक में 1 माह का सश्रम कारावास के दंड से भी दंडित किया गया है व अपराध की परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुये उचित एवं पर्याप्त होते हुये हस्तक्षेप योग्य रहना भी प्रकट नहीं होता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 23.11.17 हस्तक्षेप योग्य न रहने से उसे स्थिर रखते हुये उसकी पुष्टि की गयी और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल न रहने से उसे अस्वीकार कर निरस्त किया गया।

21. आदेश की प्रति सहित निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस लौटायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित

(अशोक कुमार साहू)
सत्र न्यायाधीश
मुंगेली (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

(अशोक कुमार साहू)
सत्र न्यायाधीश
मुंगेली (छ0ग0)